न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प शिविर – बोयल
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 43/2021

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. भूराराम पुत्र श्री जेठाराम जाति सिरवी निवासीगण नयापुरा का बास, अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली (राज0)	1. सरकार जरिये (भूमि–धारक)	तहसीलदार सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक –08.10.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रून्दिया पटवार हल्का रून्दिया भू अभिलेख क्षेत्र अटबड़ा जिला पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 870 रकबा 1.6600 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई पेमाराम, लच्छाराम, रूपाराम, मोतीराम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि पर प्रार्थी 1/5 हक हिस्सा उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नहीं कर बचपन का नाम भंवरीया एवं भंवरलाल दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी अपने व्यवसायिक कार्य से पिछले कई वर्षो से बाहर ही कार्यरत होने से राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजो की जानकारी के अभाव में उक्त संशोधन हेतु पूर्व में कार्यवाही नहीं कर सका। जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम भूराराम है प्रार्थी को घर परिवार समाज में बचपन में भंवरीया/भंवरलाल के नाम से ही पुकाराते थे। इसलिये राजस्व कर्मचारियो के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज भंवरीया/भंवरलाल दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम भूराराम ही है तथा प्रार्थी को गांव परिवार समाज में भूराराम के नाम से भी जाना व पहचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, ग्राम पंचायत अटबड़ा के वर्तमान खसरा नंबर 863/2 रकबा 0.0800 हैक्टर कृषि भूमि में भी इन्ही सह खातेदारान के साथ प्रार्थी का व अन्य दस्तावेजात

भी प्रार्थी का नाम भूराराम ही दर्ज है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक एवं स्तावेजी नाम भूराराम ही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि में भंवरीलाल/भंवरीया, भूराराम प्रार्थी ही है तथा प्रार्थी को भूराराम के नाम से ही सम्बोधित किया जा रहा है। बल्कि प्रार्थी के पिता जेठाराम के वारिसान में प्रार्थी भूराराम के अलावा भंवरीया/भंवरलाल नाम का अन्य कोई इसी नाम का अनरू कोई पुत्र या वारिस नहीं है। भंवरीया/भंवरलाल एवं भूराराम पुत्र जेठाराम का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है। राजस्व कर्मचारियों राजस्व रेकर्ड जामबंदी में प्रार्थी का नाम भूराराम के स्थान पर भंवरीया/भंवरलाल दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नहीं थी, प्रार्थी व्यवसाय के सिलसिले में खाने कमाने हेतु बाहर निवासरत होने से राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं होने से उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में नहीं हो पायी। अभी वर्तमान में उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी के सगे भाई लच्छाराम का स्वर्गवास होने पर अपने पैतृक गांव अटबडा आया तथा वादस्थ कृषि भूमि के सम्बन्ध में लच्छाराम की फौतेदगी नामान्तरण की कार्यवाही हेतु संपर्क करने पर उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर आया कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जेठाराम के स्वर्गवास के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों के द्वारा राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी भूराराम का नाम पेन ऑफ स्लीप एवं सद्भाविक त्रुटिवश बिना दस्तावेज का अवलोकन किये भंवरीया/भंवरलाल दर्ज कर दिया। जिस पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान व पुरानी जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम भूराराम दर्ज न कर भंवरीया/भंवरलाल पैन ऑफ मिसटेक, सद्भाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी भंवरीया/भंवरलाल के स्थान पर भूराराम दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पडेगा। प्रार्थी का नाम भूराराम के स्थान पर भंवरीया/भंवरलाल दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड रहा है व अन्य लाभों से वंचित होना पड रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 870 में प्रार्थी का नाम भंवरीया/भंवरलाल के स्थान पर भूराराम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा श्रीमान तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरस्ती श्रीमान के न्यायालय क्षेत्राधिकार का होने से दुरस्त नहीं किया गया। इसलिये उक्त आशय का प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के अलावा अन्य सह खातेदारान का नाम इन्द्राजसुदा है जो कि प्रार्थी के सगे भाई है जिसमें से सह खातेदार लच्छाराम, मोतीराम, पेमाराम का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र दुरस्त किये जाने से सह खातेदारान के हिस्से पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नहीं पड़ने से आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा सह खातेदारान रूपाराम एवं अन्य सह खातेदार के वारिसान का शपथपत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है।

दरथ कृषि भूमि सरहद मौजा रून्दिया पटवार हल्का रून्दिया में स्थित होने तथा वादरथ कृषि भूमि में हुई त्रुटि सैटलमेंट पश्चात् की होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। सरहद मौजा रून्दिया के खसरा संख्या 870 रकबा 1.6600 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भंवरीया/भंवरलाल के स्थान पर भूराराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रून्दिया के खसरा नम्बर 870 रकबा 1.6600 हैक्टर जो वक्त लिपिकीय त्रुटिवश सहवन से प्रार्थीगण का नाम भूराराम के स्थान पर भंवरीया/भंवरलाल दर्ज हो गया है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम भंवरीया/भंवरलाल के स्थान पर भूराराम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत ने जबाब पेश कर अंकित किया है कि सरहद मौजा ग्राम रून्दिया में नाम शुद्धि हेतु प्राप्त पत्रावली में दस्तावेजो का रिकार्ड से मिलान करने पर पाया कि सम्वत् 2033–52 में ख0न0 870 में जेठाराम पुत्र चुतराराम कौम सीरवी के नाम खातेदारी दर्ज सुदा है। जेठाराम पुत्र चुतराराम के फौत होने से फौतेदगी नामा0 58 दिनांक 07.01.1983 को दर्ज किया गया जिसमें जेठाराम के विधिक वारिसों पेमा, लच्छा, रूपा, मोती, भवरीया पि0 जेठा के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। इसी सम्बन्ध में सम्वत् 2074–77 अदिनांक राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में ख0न0 870 में भंवरलाल पुत्र जेठाराम ही दर्ज शुदा है। साथ ही जेठाराम पुत्र चुतराराम के नाम की खातेदारी भूमि ग्राम अटपड़ा में दर्ज शुदा है। ग्राम अटपडा में सम्वत् 2066–69 में पेमाराम, लच्छाराम, रूपाराम, भुराराम, मोतीराम पि0 जेठाराम दर्ज शुदा है। अतः ग्राम अटपड़ा में दर्ज नारायणराम, भुराराम पि0 जेठाराम के आधार पर ग्राम रून्दिया में भंवरिया पि0 जेठाराम का नाम जो लिपिकीय अशुद्धि है जिसे भूराराम पुत्र जेठाराम जो की सही है। उसे शुद्ध किया जाने तथा कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत सहखातेदारान रूपाराम पुत्र जेठाराम, मंगलाराम पुत्र स्व0 लछाराम के तस्दीक सुदा शपथ पत्रों मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा रून्दिया के खसरा नम्बर 870 रकबा 1.6600 हैक्टर जो वक्त लिपिकीय त्रुटिवश सहवन से प्रार्थीगण का नाम भूराराम के स्थान पर भंवरीया/भंवरलाल दर्ज हो गया है। जिसे दुरस्त कर भंवरीया/भंवरलाल के स्थान पर भूराराम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रून्दिया के खसरा नम्बर 870 रकबा 1.6600 हैक्टर जो वक्त लिपिकीय त्रुटिवश सहवन से प्रार्थीगण का नाम भूराराम के स्थान पर भंवरीया/भंवरलाल दर्ज हो गया है। जिसे दुरस्त कर भंवरीया/भंवरलाल के स्थान पर भूराराम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाराम जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
कोर्ट केम्प – बोयल

यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प बोयल में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाराम जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
कोर्ट केम्प – बोयल